

संचालनालय
पशुपालन मध्यप्रदेश भोपाल
कामधेनु भवन, वैशाली नगर मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक 1328 / प.पा. / 2021-22

भोपाल दिनांक 06/02/2022

प्रति,

उप संचालक,
पशु चिकित्सा सेवायें
जिला (समस्त).....म0प्र0।

विषय :— Prohibit the Manufacture, Sale and use of Gestation and Farrowing Crates.

संदर्भ :— अपर मुख्य सचिव म0प्र0 शासन पशुपालन एवं डेयरी विभाग मंत्रालय, भोपाल से दि 028.1.2022 को प्राप्त ईमेल के संदर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) से Advocacy Associate Shri. Farhat Ulain का ईमेल प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेखित किया गया है कि सूकर पालन में Gestation and Farrowing Crates का उपयोग किया जा रहा है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में यदि सूकर पालन का कार्य संपादित हो रहा हो तो वहाँ निरिक्षण कर PCA act 1960 section 11(1)e के अनुसार सूकर पालन हेतु Gestation and Farrowing Crates का उपयोग बन्द करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

(डॉ. आर.के. मेहिया)

संचालक

पशुपालन एवं डेयरी विभाग
मध्यप्रदेश

क्रमांक 1329 / प.पा. / 2021-22

भोपाल दिनांक 06/02/2022

प्रतिलिपि:-

- 1— अवर सचिव, पशुपालन एवं डेयरी विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय, भोपाल म0प्र0 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2— Shri Farhat Ulain Advocacy Associate (PETA) India की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3— संयुक्त संचालक, (समस्त) म0प्र की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संचालक

पशुपालन एवं डेयरी विभाग
मध्यप्रदेश